तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **मियाद प्रार्थना पत्र संख्याः 26/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
17.12.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अपीलार्थी के वकील उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1779 दिनांक 18.10.2023 के विरूद्ध अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में प्रार्थी अपीलार्थी की कोई लापरवाही या बदनियति प्रतीत नही होती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावना पूर्ण होना पाया जाता है। अतः प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं मूल अपील के साथ नत्थी हो। **अति. जिला कलेक्टर, सिरोही**	